२१५

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–121/2023 दायर दिनांकः 13.6.2023
GCMS NO:- 2023/180 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

जन्शी आ0 गोपाल जाति मीना नि0 दलेलपुरा।

–प्रार्थी

बनाम

भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री शांतीलाल मीना।

निर्णय दिनांक 22.5.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम दलेलपुरा मे प्रार्थी की खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर 481/113 रकबा 0.8090 हैक्टयर स्थित है जिस पर प्रार्थी मकान बनाकर निवास कर रहा है तथा ट्यूबवेल बोरिंग भी लगा हुआ है।

यह कि उक्त भूमि पर जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम दलेलपुरा से खेरूणा जाने वाले ग्रेवल रोड से फटकर खसरा नम्बर 113/456 सरकारी भूमि से होता हुआ उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर खसरा नम्बर 481/113 प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुंचता है जिसे प्रार्थना पत्र व परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। इस रास्ते को प्रार्थीगण सैकडों वर्षो से आवागमन हेतु उपयोग मे ले रहे है। अपने कृषि यंत्रों को ले जा रहे है तथा इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगणों के पास अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण रास्ते में आने वाली भूमि का नियमानुसार कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ, शपथ पत्र, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये जाकर उक्त विवादित रास्ते को 20 फुट चौडा करवा कर रास्ते को भू–अभिलेखों मे दर्ज करवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ द्वारा दिनांक 24.3.2025 को ही रिपोर्ट पेश कर दी गयी है जिसमे उनके द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौकें पर नही है तथा चाहा गया रास्ता ही निकटतम है।

पत्रावली मे बहस एकपक्षीय सूनी गयी। प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम दलेलपुरा मे प्रार्थी की खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर 481/113 की भूमि पर जाने के लिए तहसीलदार साहब नैनवॉ से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, के अनुसार रास्ता दिया जाने मे उन्हे कोई आपत्ती नही है।

हमने प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। बहस मे किये गए विवेचन, प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत समस्त रिपोर्ट्स का अवलोकन किया तथा पाया कि ग्राम दलेलपुरा मे प्रार्थी की खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर 481/113 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 113 व 113/456 मे जहां से प्रार्थी ने रास्ता चाहा गया है, के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने तथा चाहा गया रास्ता ही निकटतम होने से संलग्न नक्शा ट्रेस (जिसे आगे जाकर परिशिष्ट क नाम से जाना जावेगा) अनुसार अथवा तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार ही रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार तहसील नैनवॉ के ग्राम दलेलपुरा स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जाने के लिए खसरा नम्बर 113 व 113/456 मे से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाता है। नक्शा ट्रेस जिसमे लाल स्याही से रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट क नाम दिया जाता है जो इस न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगाः–

प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः—

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	x चौडाई	क्षेत्रफल
113	सिवायचक (सरकारी)	बंजड	564 फीट	x 13 फीट	7332 वर्गफीट **अर्थात 0.0681 हैक्टयर**
113/456	सिवायचक (सरकारी)	बा04	374 फीट	x 13 फीट	4862 वर्गफीट **अर्थात 0.0451 हैक्टयर**

कुल क्षेत्रफल = 12194 वर्गफीट या 0.1132 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के प्रस्तावित रास्ता अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी नैनवॉ

अंशिक नकल नक्शा ट्रेस

ग्राम = दौलतपुरा

प.स = देईखेड़ा

तह. = नैनवा (बूंदी)

पाटीशिर क.

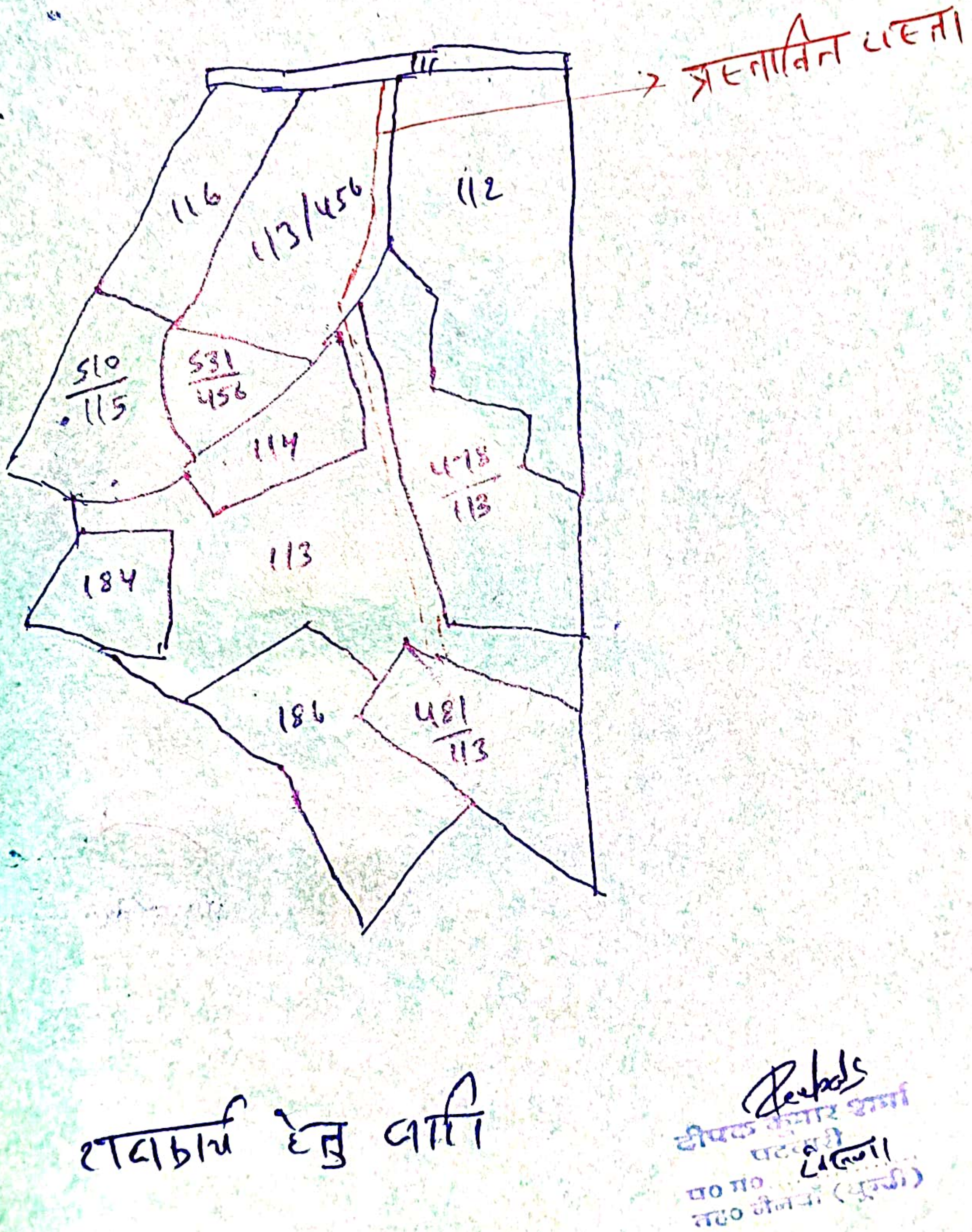

रास्ताकार्य हेतु जारी

दीपक कुमार शर्मा
पटवारी
देईखेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)